

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2024 सत्र)

(दिनांक 05 फरवरी, 2024 से दिनांक 01 मार्च, 2024 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	समा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग - 1				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	}		
खनिज साधन	"			
ऊर्जा	"			
जनसंपर्क	"			
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"			
परिवहन	"			
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"			
विमानन	"			
सार्वजनिक उपक्रम	"			
जन शिकायत निवारण	"			
ग्रामोद्योग	"			
पशुधन विकास	"			
मछली पालन	"			
आयाकट	"			
पुनर्वास	"			
जैव प्रौद्योगिकी	"			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
समाज कल्याण	"			
वर्ग - 2				
लोक निर्माण	उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)	}		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"			
विधि एवं विधायी कार्य	"			
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"			
वन एवं जलवायु परिवर्तन	वन मंत्री			
जल संसाधन	"			
कौशल विकास	"			
सहकारिता	"			
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	राजस्व मंत्री			
खेलकूद एवं युवा कल्याण	"			
वर्ग - 3				
गृह	उप मुख्यमंत्री (गृह)	}		
जेल	"			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	"			
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"			
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री			
श्रम	"			

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक				
			ऑनलाईन	ऑफलाईन			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
वर्ग - 4							
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री	}	}	}			
उच्च शिक्षा	"						
संसदीय कार्य	"						
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"				09 फरवरी, 2024	16 जनवरी, 2024	17 जनवरी, 2024
पर्यटन	"				16 फरवरी, 2024	23 जनवरी, 2024	24 जनवरी, 2024
संस्कृति	"				23 फरवरी, 2024	31 जनवरी, 2024	01 फरवरी, 2024
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री				01 मार्च, 2024	07 फरवरी, 2024	08 फरवरी, 2024
चिकित्सा शिक्षा	"						
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"						
वर्ग - 5							
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री	}	}	}			
कृषि विकास एवं किसान कल्याण वित्त	"				12 फरवरी, 2024	17 जनवरी, 2024	18 जनवरी, 2024
वाणिज्यिक कर	वित्त मंत्री				19 फरवरी, 2024	28 जनवरी, 2024	29 जनवरी, 2024
आवास एवं पर्यावरण	"				26 फरवरी, 2024	04 फरवरी, 2024	05 फरवरी, 2024
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	"						

- नोट :-**
- विवरण के कालम (3),(4) व (5) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों हेतु लागू होंगे।
 - प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं प्रत्येक बैठक हेतु नियत अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 बजे तक ही प्राप्त की जाएंगी तथा ऑफलाईन प्रश्नों की सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।
 - माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में इस हेतु दिए गए घोषणा-पत्र में दर्शित अधिकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन करते हुए प्रस्तुत की जा सकेंगी। ऑनलाईन प्रस्तुत ऐसी "ई-प्रश्न की सूचनाएं" संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत मानी जाएंगी।
 - ऑफलाईन प्रश्न की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी।
 - नियम 31 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी नियत बैठक हेतु प्राप्त प्रथम 4 (चार) प्रश्नों की सूचनाओं के पश्चात् अतिरिक्त संख्या में प्राप्त होने वाले प्रश्नों की सूचनाओं तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संबंध में यह माना जावेगा कि वे सूचनाएं प्राप्त ही नहीं हुईं।
 - ई-मेल/फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएंगी।

रायपुर
दिनांक : 04 जनवरी, 2024

पृ.क्र. 167 / वि.स. / प्रश्न / 2024

प्रतिलिपि :-

- समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

हस्ता. / -
दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा
रायपुर, दिनांक 04 जनवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा